न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2019/00010

अपील संख्या – 8/19

रामसिह पुत्र बृजलाल जाति मीना निवासी ग्राम महेसरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र राघवदास बैरागी निवासी ग्राम महेसरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
2. पुखराज पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम महेसरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
3. रामलाल पुत्र रामफूल जाति कुम्हार निवासी ग्राम महेसरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
4. गड्डूल पुत्र रामफूल जाति कुम्हार निवासी ग्राम महेसरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
5. बाबूलाल पुत्र रामफूल जाति कुम्हार निवासी ग्राम महेसरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
6. हंसराज पुत्र रामफूल जाति कुम्हार निवासी ग्राम महेसरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
7. मुकेश पुत्र रामफूल जाति कुम्हार निवासी महेसरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
8. रामसहाय पुत्र गोपी जाति कुम्हार निवासी ग्राम महेसरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
9. पूनीराम पुत्र गोपी जाति कुम्हार निवासी ग्राम महेसरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
10. मोतीलाल पुत्र गोपी जाति कुम्हार निवासी ग्राम महेसरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 24/21 निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूँगर)

अभिभाषक अपीला0 श्री भोलाशंकर शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री राधेश्याम बैष्णव,श्री प्रशांत शर्मा

दिनांक 25.02.25

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 8.7.21 न्यायालय उप जिला कलक्टर, [illegible]

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं [illegible] तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा पत्रांक 1439 दिनांक 2.3.21 के द्वारा अप[illegible] प्रकरण राघवदास बनाम गोपी वगै0 मे अधिनस्थ न्यायालय [illegible] निर्णय दिनांक 1.8.02 [illegible] वादी राघवदास वगै0 को ग्राम महेसरा के साबिक ख0न[illegible]22 रकबा 3 बीघा 2 विस[illegible] 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बीघा 9 विस्वा विक्रय कर देने के पश्चात शेष भूमि 1 बीघा 13 विस्वा का खातेदार घोषित किया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का जोलन्दा दिनांक 19.11.20 के अनुसार ग्राम महेसरा की जमाबंदी सम्वत 2051–54 के खाता संख्या 175 के ख0न0 222 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा राघवदास पुत्र मनसुखदास जाति बैरागी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त ख0न0 222 मे से रकबा 1 बीघा 9 विस्वा भूमि विक्रेता राघवदास के बजाय रामसिह,हरकेश,कालूराम पिता बृजलाल जाति मीना के नाम जरिये नामा0 संख्या 592 दिनांक 2.1.95 का नोट अंकित किया हुआ है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक ख0न0 222 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा के हाल ख0न0 635/0.07,636/0.21, 637/0.36, 638/0.07, 639/0.06,641/0.01 बने है। इसमे से ख0न0 637,641 जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 30 मे कालूराम पुत्र बृजलाल वगै0 के नाम दर्ज है तथा शेष ख0न0 635,636,638,639 राघवदास के नाम जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 124 मे ओमप्रकाश,चन्द्रमोहन,सत्यनारायण,परमेश्वर,प्रहलाद पिता राघवदास ,मांगी पत्नि स्व0राघोदास के नाम दर्ज है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बौली के प्रकरण उनवानी राघवदास बनाम गोपी मे पारित निर्णय दिनांक 1.8.02 द्वारा साबिक ख0न0 222 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा मे से 1 बीघा 9 विस्वा विक्रय कर देने केबाद शेष भूमि 1 बीघा 13 विस्वा का खातेदार वादी राघवदास पुत्र मनसुखदास के वारिसान को घोषित किया गया है। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के वारिसान के नाम खाता संख्या 124 जमाबंदी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड है। अर्थात पूर्व से ही वादी के वारिसान के नाम डिक्री मे वर्णित भूमि खातेदारी मे दर्ज है। इसमे पृथक से अन्य कोई नामा0 दर्ज करना अपेक्षित नही है। उपखण्ड अधिकारी बौली के निर्णय दिनांक 1.8.02 मे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर उक्त भूमि मे वादी के कब्जे काश्त मे दखल न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे, का अंकन है। उक्त निर्णय दिनांक 1.8.02 के विरूद्व अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के यहॉ अपील संख्या 155/02 की गई जो दिनांक 14.8.03 को खारिज की गई। जिसके विरूद्व द्वितीय अपील राजस्व मंडल अजमेर मे अपील संख्या 5079/2003 दायर की गई जो दिनांक 11.6.18 को खारिज कर उपखण्ड अधिकारी बौली एवं राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को बहाल रखा गया। वर्तमान मे एक नजरसानी संख्या 4451/2018 राजस्व मंडल मे विचाराधीन है। प्रार्थी माननीय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय से उक्त भूमि पर कब्जा लेना चाहता है जबकि न्यायालय के निर्णय मे बेदखली का आदेश नही है। इस संबंध मे मौका रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त करने पर उक्त आराजीयात पर 15 से 20 वर्ष पूर्व से मौके पर कच्चे,पक्के मकान,बाडा बनाकर कई व्यक्तियो का कब्जा है। प्रार्थी द्वारा उक्त कब्जो को हटाने बाबत उच्चाधिकारियो को प्रार्थना पत्र बार बार प्रस्तुत किये है जिसके संबंध मे कब्जाधारियो को नोटिस जारी किये गये है। तहसीलदार मलारना डूँगर की इस रिपोर्ट पर आदेश दिनांक 23.3.21 के द्वारा प्रकरण 183 आर टी एक्ट के तहत दर्ज किया जाकर रिपोर्ट मे वर्णित प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसमे से कुछ ने नोटिस लेने से इंकार करने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा कुछ [illegible] द्वारा वकालतन उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण को काफी अवसर दिये जाने [illegible] प्रस्तुत नही किया गया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] धारा 188 आर टी एक्ट एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात पर अतिकमी मानकर भूमि से बेदखल करने एवं भूमि पर कब्जा वर्तमान खातेदारो को संभलवाने के आदेश पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 रामसिह द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी कानून रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी कानून अथवा नियमो की अनुपालना किये बिना ही मनमर्जी से आदेश/निर्णय व डिकी पारित की है। ऐसे निर्णय प्रांरभ से ही शून्य है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा टीनेन्सी एक्ट,लैण्ड रेवेन्यू एक्ट व सिविल प्रोसिजर कोड की कोई अनुपालना करते और ना ही उन नियमो के अनुसार कोई आदेश पारित किया है। यहॉ तक की नेचूरल जस्टिस तक की पालना नही की गई है। किसी विपक्षी को सुने बिना आदेश पारित किया जाना विधि की गंभीर त्रुटि है और वह किसी भी प्रकार से क्षम्य योग्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी की प्रोपर तामील हुई या नही, ये तक नही देखा है। किसी भी नोटिस पर इन्कारी का नोट तभी मान्य होता है जब वह निष्पक्ष दो गवाहो द्वारा इस बात की ताईद कर दी जावे कि उनके समक्ष नोटिस लेने से इंकार कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। जबकि कानूनी रूप से यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून का पूर्ण ज्ञान है। यहॉ न्यायालय जो स्वयं न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर न्याय करना चाहिए, उस प्रक्रिया को अपनाये बिना निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183 आर टी एक्ट के तहत बेदखली का वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और बेदखली के बाद मे दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाना, उनकी तामिल होने पर जबाब लिया जाना, जबाब आने पर तनकी कायम करना, तनकी कायम करने के उपरान्त साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी तथा दोनो पक्षो की बहस सुनकर निर्णय पारित किये जाने का प्रावधाना है। जो मेन्डेट्री है। किसी भी एक बिन्दु को छोडे बिना निर्णय पारित किया जाना संभव नही है। ओर ऐसा निर्णय जो विधि की पालना किये बिना ही किया गया हो वह किसी भी प्रकार से कानूनी औचित्य नही रखता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक तारीख पर बेदखली का वाद दर्ज किया दूसरी पर बिना किसी प्रोपर तामिल के बिना प्रार्थी अपीलांट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही कर दी और उस आदेशिका मे ऐरो का मार्क लगाकर प्रार्थी अपीलांट का नाम जोड दिया गया। हंसराज कही विदेश है उसकी तामिल जारी करने के आदेश दिये और उसके नोटिस जारी हुए और निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुछ प्रतिवादीगण का जबाब लिये बिना और जबाब का अवसर दिये बिना अगली तारीख पर निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो प्रतिवादीगण की तामील के बारे मे कुछ लिखा है ना ही जबाब लेने का प्रयास अथवा जबाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। ना ही किसी प्रतिवादी का जबाब बंद किया गया और सीधा बहस सुनकर निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। इससे ज्यादा न्यायिक प्रकिया का मजाक नही हो सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 2.8.02 मे स्थाई निषेधाज्ञा कब्जे काश्त मे मजाहमत नही करने बाबत जारी की गई थी जबकि उससे पहले ही कब्जा अन्य पक्ष का था ओर दावा करने से पूर्व अगर किसी पक्ष का कब्जा हो उसके खिलाफ कोई निषेधाज्ञा जारी नही हो सकती और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली की डिक्री जारी कर दी गई। माननीय राजस्व मंडल एवं उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा माह अप्रेल से जुलाई तक किसी प्रकार का एडवर्स आदेश नही करने बाबत आदेश जारी किये गये थे पक्षकारो की हाजरी नही करने बाबत नोटिफीकेशन जारी किया गया था, यहाँ तक की कोविड महामारी मे सभी तरह के साधन व आना जाना बंद था इस सबको दरकिनार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने डिक्री पारित की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 8.7.21 जारी करते हुए जिस पूर्व आदेश दिनांक 2.8.02 को हवाला दिया गया और उसके आधार पर बेदखली की डिक्री जारी की गई। जबकि निर्णय व डिक्री मे अपीलांट पक्षकार ही नही था , फिर जिस डिक्री मे अपीलांट पक्षकार ही नही है तो उस व्यक्ति अर्थात वादी अपीलांट पर कैसे लागू हो सकती है। यह तथ्य भी अधिनस्थ न्यायालय ने नही देखा है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी ख0न0 222 रकबा 3 बीघा 9 विस्वा विक्रय करने के बाद शेष 1 बीघा 13 विस्वा का वर्ष 2002 मे रेस्पो0 संख्या 1 को खातेदार घोषित किया गया था। इस भूमि मे 1 बीघा 9 विस्वा भूमि वह है जिसे अपीलांट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है। इसके अलावा इसी ख0न0 मे से 8 विस्वा भूमि और राघवदास ने दिनांक 6.7.93 को अपीलांट को विक्रय की है। जिसका एक इकरारनामा लिखकर 62900/—रूपया चूकती प्रतिफल लेकर कब्जा सुपुर्द किया गया था। इस विक्रय इकरारनामा 1 बीघा 17 विस्वा का था जिसमे से 1 बीघा 9 विस्वा की रजिस्ट्री तो राघवदास ने करवा दी थी शेष 8 विस्वा रकबे की रजिस्ट्री राघवदास ने नही कराई थी जिसकी रजिस्ट्री कराने के लिए लगातार अपीलांट द्वारा उसके वारिसान से कहता रहा है। लेकिन वे कहते रहे कि कब्जा तुम्हारा है कभी भी चलकर रजिस्ट्री करवा देगे। उक्त 8 विस्वा भूमि मे ही अपीलांट के मकानात बने हुए है बाडे बने है। जिसमे अपीलांट सपरिवार रिहायश करते है। इस तथ्य को रेस्पो0 संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय मे छिपाया है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को किसी प्रकार का मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट को बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिस ख0न0 639 मे वादी के मकान दर्शाये है यह साबिक ख0न0 222 से ही बना है इसका कुल रकबा 6 विस्वा है। ये वही जमीन है जिसे जरिये एग्रीमेंट बाडे के रूप मे अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 1 के पिता राघवदास से क्रय किया था। उक्त प्रकरण मे दिनांक 16.4.21 को आर्डरशीट मे तलबी मे पत्रावली नियत थी। तत्पश्चात कोविड की वजह से दिनांक 23.4.21 से 10.6.21 को तारीख पेशीयां बदली गई एवं पत्रावली मे दिनांक 28.7.21 तारीख ... जिसे ओवर राईटिंग करके 8.7.21 किया गया एवं 8.7.21 को निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कानून के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी ... की गई ना ही जबाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दावा बंद किया गया। ना ही जबाब दावा बंद किया जा सकता था। क्योकि तामील से 90 दिवस की अवधि सीपीसी मे जबाब दावा पेश करने के लिए छूट दी गई है। ऐसी सूरत मे 15 जुलाई 2021 तक तो जबाब दावा ही बंद नही हो सकता था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानो को अनदेखा कर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय मे जिन पूर्व निर्णय व डिक्रीयो का हवाला दिया गया है उनमे अपीलांट पक्षकार ही नही था। ऐसी सूरत मे उक्त आदेश व डिक्री अपीलांट के विरूद्व कोई प्रभाव नही रखते है। पत्रावली मे तहसीलदार मलारना डूँगर की रिपोर्ट दिनांक 2.3.21 है वह इकतरफा है। जिसे अपीलांट को सुने बिना, अपीलांट के दस्तावेज देखे बिना ही बनाई गई है। अपीलांट वर्ष 1993 से बाड़े व मकान बनाकर रह रहा है। किसी भी व्यक्ति को बेदखल करने की मियाद 12 वर्ष की है। इसके उपरान्त बेदखली नही हो सकती है। वर्ष्ज्ञ 2021 मे पेश किया गया दावा मियाद बाहर था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने नही देखा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये,बिना साक्ष्य लिये तथा बिना बयान दर्ज कराये तथा बिना एक्जीवीट किये ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय इल्लीगल ,इम्प्रोपर व कानून के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की आड मे तहसीलदार अपीलांट को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे अवगत कराया कि विवादित आराजीयात रेस्पो/वादी की पैतृक आराजीयात है। जिस पर अपीलांट बतौर अतिक्रमी काबिज होने के कारण एवं उनके द्वारा उक्त आराजीयात पर काश्त मे वादी को नाजायज परेशान किये जाने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे पूर्व मे वाद दायर किया गय था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 2.8.02 के द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट की अपील दिनांक 14.8.03 मे खारिज की गई जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा अपील माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे पेश की गई। माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.6.18 को निर्णित कर अपीलांट की अपील खारिज करते हुए न्यायालय हाजा के निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई। इस प्रकार अपीलांट को किसी भी न्यायालय द्वारा राहत प्रदान नही की गई है क्योकि अपीलांट विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार नही है। उक्त विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे वादी/रेस्पो0 के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट को कई बार जबाब दावा पेश करने के अवसर दिये गये है परन्तु उनके द्वारा जबाब दावा पेश नही किये जाने पर जबाब दावा बंद किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मलारना डूँगर की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट को विवादित [illegible] के बाबत अतिक्रमी माना है। किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर अनाधिकृत [illegible] खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के [illegible] के तहत ही अपीलाधीन निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पारित किया गया है। रेस्पो0 विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात साबिक ख0न0 222 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा ग्राम महेसरा के खातेदार काश्तकार राघवदास के वारिसान है। राजस्व रिकार्ड मे भी इन्ही का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। पत्रावली मे उपलब्ध तहसीलदार मलारना डूँगर की रिपोर्ट दिनांक 2.3.21 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी ख0न0 639 पर अपीलांट रामसिह, 638 पर पुखराज एवं 636 पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 एवं 635 पर प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 बतौर अतिक्रमी माना गया है। इस प्रकार किसी खातेदार की आराजीयात पर कब्जा किये जाने वाले व्यक्ति को कानूनन किसी प्रकार की रिलीफ प्रदान नही की जा सकती है। विवादित आराजीयात के बाबत पूर्व मे भी इस न्यायालय एवं राजस्व मंडल अजमेर द्वारा भी निर्णय पारित किये जा चुके है। जिनमे भी अपीलांट को किसी प्रकार की कोई रिलीफ प्राप्त नही हुई है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के तहत ही किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मुकदमा न0 24/21 निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner